



कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 2306 / सी.ए.डी.एम / 2021

इन्दौर, दिनांक 08-05-2021

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

(विषय :- सम्पूर्ण इन्दौर जिले मे जनता कर्फ्यू की अवधी दिनांक 16 मई 2021 तक बढ़ाये जाने बाबद्)

विषयान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.04.2021 के द्वारा इन्दौर नगर निगम, सीमा क्षेत्र में जनता कर्फ्यू बताये गये प्रतिबंधों के साथ दिनांक 07 मई 2021 तक प्रभावशील किया गया था। इस आदेश में उल्लेखित इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के साथ-साथ शेष इन्दौर जिले की समस्त नगर पंचायतों, कन्टोनमेंट क्षेत्र महू तथा सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में जनता कर्फ्यू की यह अवधी आज दिनांक को प्रभावशील समस्त प्रतिबंधों के साथ दिनांक 16 मई 2021 (अर्थात् रविवार) तक के लिए बढ़ाई जाती है।

आज दिनांक को प्रभावशील प्रतिबंधों के साथ-साथ इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों, ट्रांसपोर्ट नगर, गोडाउन गतिविधि में कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी एवं मालिकों के लिए अपने निवास स्थान से वर्णित उक्त तीन कार्य क्षेत्र में जाने-आने के लिए दिन के 24 घंटे में समय के तीन समय स्लॉट निर्धारित किए जाते हैं। यह टाईम्स स्लॉट एवं अन्य निर्देश निम्नानुसार रहेंगे। यह तीन समय स्लॉट दिनांक 10 मई 2021 (सोमवार) से प्रभावशील रहेंगे :-

1. यह कि प्रातः 08.30-10.00 बजे तक (डेढ़ घंटा), सायं 06.00-07.00 (एक घंटा) तथा रात्रि 01.00 से 2.30 (डेढ़ घंटा) इन तीन टाईम्स स्लॉट में ही उद्योगों, ट्रांसपोर्ट नगर, गोडाउन गतिविधि में कार्यरत व्यक्ति एवं मालिक आ-जा सकेंगे। उक्त तीन स्लॉट की अवधि के अतिरिक्त इन श्रेणी के लोगों को आना जाना पाया गया तो पुलिस वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगी।
2. उक्त तीन श्रेणी की गतिविधियों से संबंधित संस्थान मालिक उनके यहां कार्यरत सभी अधिकारी, कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र देंगे ताकि शहर में पुलिस/मजिस्ट्रेट की जांच में यह स्पष्ट हो सके कि व्यक्ति कहां पर कार्यरत है।
3. इन तीन श्रेणी के संस्थानों में पूर्व के आदेशों के तहत सूपरवाइजरी स्टाफ 25 प्रतिशत तक कार्यरत रह सकने की शर्त आरोपित थी। संबंधित पूर्व के आदेशों के साथ यह शर्त अब विलोपित की जाती है। उक्त तीन श्रेणी के संस्थान अपनी आवश्यकता अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का शतप्रतिशत पालन करते हुए कर्मचारियों, सूपरवाइजरी स्टाफ को बुला सकेंगे।

4. कई फार्मा उद्योगों में दवाई निर्माण हेतु लगने वाली ऑक्सीजन गैस की पूर्ति श्री रोहन सक्सेना, कार्यपालक निर्देशक, एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा सुनिश्चित कराई जावेगी।
5. पीथमपुर, देवास उद्योगों में कार्यरत इन्दौर निवासी व्यक्ति, कंपनी की बस में अपने पूर्व निर्धारित दैनिक समय पर आ जा सकेगे अर्थात् बसों के इस आवाजाही में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। किन्तु स्वयं के वाहनों से पीथमपुर, देवास, शहर के बाहर जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी बिन्दू क्रमांक 1 में वर्णित टाईम स्लॉट के तहत ही इन्दौर शहर के अंदर-बाहर आवाजाही कर सकेगे।
6. उद्योगों से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु श्री रोहन सक्सेना, कार्यपालक निर्देशक, एम.पी.आई.डी.सी. को अधिकृत किया जाता है तथा वे इन समस्याओं हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक, इन्दौर, आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता से आवश्यक सामंजस्य कर सकेंगे।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी।

यह आदेश दिनांक 08/05/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(मनीष सिंह)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 08-05-2021

पृ०क्र०/2307/री0ए0डी0एम0/2021
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, झोन -1-2-3, इन्दौर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर।
9. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर।

11. एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त),, इन्दौर
12. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
13. थाना प्रभारी, थाना.....जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
14. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
15. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.